न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– अर्पिता सोनी आर.ए.एस.

प्र.सं. 19/2018

सीएमएस : 2018/00059

1. जगराज राम पुत्र मंहगा राम जाति बावरी निवासी 11 पीटीडी रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0

–: प्रार्थी

बनाम

1. मन्जू देइया पत्नी केसरा राम जाति मेघवाल निवासी ख्यालीवाला तहसील व जिला श्री गंगानगर राज0
2. केसू राम पुत्र मघा राम जाति मेघवाल निवासी करणपुर तहसील करणपुर
3. बीरबल राम पुत्र मघा राम जाति मेघवाल निवासी करणपुर तहसील करणपुर जिला श्रीगंगनगर राज0
4. डूंगर राम पुत्र मघाराम जाति मेघवाल निवासी करणपुर तहसील करणपुर
5. राजा राम पुत्र मघाराम जाति मेघवाल निवासी करणपुर तहसील करणपुर
6. रूघा राम पुत्र मघाराम जाति मेघवाल निवासी करणपुर तहसील करणपुर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

–: अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

1. श्री सुभाष चन्द्र बिश्नोई, वकील प्रार्थी
2. श्री महेशप्रताप सोनी, वकील अप्रार्थीगण

–: निर्णय :–

दिनांक : 31.03.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने वाद पत्र के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 राज.काश्त. अधि. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा चक 11 पीटीडी तहसील रायसिंहनगर का मु.नं. 30 प.नं. 264/355 के कि.नं. 1 ता 25 कुल 25.00 बीघा नहरी खातेदारी भूमि लक्ष्मण राम पुत्र भोमाराम जाति मेघवाल निवासी 2 एमएल(नाथावाली) तहसील व जिला श्रीगंगानगर से खरीदशुदा हैं। जो सन् 1972 में खरीद की गयी थी व खरीद के रोज से लगातार कब्जा भूमि पर प्रार्थी के पास चला आ रहा हैं। जिसमें प्रार्थी की फसल काश्त की हुई हैं। भूमि प्रार्थी की खरीदशुदा होने के कारण उक्त भूमि को हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने के अधिकार प्रार्थी को हासिल हैं। अप्रार्थीगण भू–माफिया गिरोह से संबंध रखते हैं। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के साधिकार कब्जा काश्त में चली आ रही भूमि को प्रार्थी को प्रार्थी को बेदखल कर हथियाना की योजना बना रखी हैं। अप्रार्थीगण द्वारा विधि विरू0 संगठन बनाकर कब्जा करने का प्रयास किया व प्रार्थी को बेदखल करना चाहा तो प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध पुलिस थाना में कार्यवाही की तथा न्यायालय न्यायिक मैजि0 साहब रायसिंहनगर द्वारा अप्रार्थीगण राणा राम व केसरा राम उर्फ केसू राम के विरूद्ध प्रार्थी के कब्जाशुदा भूमि में प्रार्थी को अपमानित अभित्रस्त करना पाया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही फरमायी गयी। अप्रार्थीगण एलानिया कर रहे हैं कि उक्त भूमि से प्रार्थी को विधि विरूद्ध तरीके से बलपूर्वक बेदखल करें। प्रथम दृष्टया वाद प्रार्थी के पक्ष में साबित हैं, सन 1972 से आज तक काबिज चला आने के कारण सुविधा का स[illegible] प्रार्थी के पक्ष में हैं। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा कि[illegible] ता 6 स्वयं या उनका कोई हितबद्ध व्यक्ति या पश्चातवर्ती व्यक्ति प्रार्थी के कब्जा काश्त की [illegible] 11 पीटीडी का मु.नं. 30 प.नं. 264/355 के कि.नं. 1 ता 25 कुल 25 बीघा नहरी [illegible]दारी भूमि में किसी प्रकार की मदाखलत बेजा करने व रकबा उक्त किसी भी प्रकार किसी अन्य को हस्तान्तरण, रहन व बैय करने से बाज व ममनु रहे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। एवं प्रार्थी के कथनों एवं दस्तावेजों के आधार पर एकपक्षीय स्थगन आदेश विरूद्ध अप्रार्थीगण पारित किया गया। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 11 पीटीडी के मु.नं. 30 प.नं. 264/355 के कि.नं. 1 ता 25 की कुल 25 बीघा नहरी लक्ष्मण राम के नाम से थी। कोई भूमि

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.06.07 12:08:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

लक्ष्मण राम द्वारा वर्ष 1972 में प्रार्थी को विक्रय नहीं की गयी। प्रार्थी ने लक्ष्मण राम के नाम से अपने हक में एक फर्जी इकरारनामा दिनांक 11.04.1972 का तेयार कर तहसीलदार के समक्ष दाद कब्जा दिलाये जाने का 183 बी राज. कास्त. अधि. का पेश किया गया। लक्ष्मण राम की मृत्यू दिनांक 01.12.1972 को हो गयी थी। दस्तावेज के फर्जी होने पर लक्ष्मण राम के वारिसान विद्या देवी का प्रार्थना पत्र दिनांक 01.01.1990 को स्वीकार कर विद्या देवी को कब्जा दिलाये जाने के आदेश तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रदान किये गये। प्रार्थी द्वारा उक्त आदेश दिनांक 01.01.1999 के विरूद्ध अपील न्यायालय अतिरिक्त कलैक्टर(प्रशा.) के पेश करने पर न्यायालय के आदेश दिनांक 27.03.2006 द्वारा तहसीलदार श्रीगंगानगर के आदेश को निरस्त कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया। उक्त आदेश के विरूद्ध विद्या देवी द्वारा मा0 राजस्व मण्डल, अजमेर में निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर मा. राजस्व मण्डल ने दिनांक 31.05.2012 को निगरानी स्वीकार कर न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर(प्र0) का आदेश निरस्त किया। वसीयत लक्ष्मण राम द्वारा अपने जीवनकाल में स्वस्थचित से अपनी पुत्री विद्या देवी के हक में निष्पादित की गई थी। लक्ष्मण राम की मृत्यु उपरान्त भूमि का इंतकाल राजस्व अभिलेख में जरिये वसीयत विद्या देवी के नाम से अंकन किया गया। विद्या देवी द्वारा उक्त भूमि जरिये बैयनामा पूर्णराम पुत्र सुरजाराम, व महावीर पुत्र जेठाराम को बैय करने के पश्चात उक्त भूमि पूर्णराम व महावीर के नाम से अंकन हुई, जिसमें से पूर्णराम द्वारा अपना हिस्सा मु. नं. 30 प.नं. 264/355 के कि.नं. 13/2 ता 25 कुल 3.162है. भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 16.04.2007 को अप्रार्थी सं. 1 को विक्रय किया गया। अप्रार्थी सं. 2 ता 6 ने जरिये बैयनामा भूमि महावीर पुत्र जेठाराम जाति नायक से खरीद की हुई हैं। जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में 3.162है. नहरी भूमि का इंतकाल अप्रार्थीगण के नाम दर्ज किया गया। अप्रार्थी सं. 1 औरतजात हैं इस बात का नाजायज फायदा उठाते हुए प्रार्थी अप्रार्थीया सं. 1 की भूमि पर नाजायज कब्जा करने की फिराक में हैं। अप्रार्थीगण सदभावी क्रेता हैं। तथा रिकार्डेड खातेदार हैं। प्रार्थी को अप्रार्थीगण के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं। प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि प्रार्थी की खरीदशुदा हैं। जिस पर प्रार्थी को समस्त अधिकार प्राप्त हैं। अप्रार्थीगण प्रार्थी को भूमि से बेदखल करना चाहते हैं। यदि अप्रार्थीगण अपने इस उद्देश्य में कामयाब हो जाते हैं तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा पारित करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि अप्रार्थीगण की खरीदशुदा भूमि हैं। अप्रार्थीगण सदभावी क्रेता हैं, तथा रिकार्डेड खातेदार हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में हैं। अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती हैं तो प्रार्थी की अपेक्षा अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा भूमि स्वयं की खरीदशुदा होने के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। तथा अप्रार्थीगण की ओर से अपने जवाब प्रार्थना पत्र में भूमि अप्रार्थीगण की खरीदशुदा होना तथा उसी अनुसार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद होना का कथन किया हैं। विवादित भूमि पर हक हिस्सा का निर्णय मूल वाद में वाद बिन्दू कायम कर साक्ष्य आधार पर किया जाना हैं। यदि वाद के निर्णय तक विवादित भूमि किसी अन्य को बैय कर दी जाती हैं तो वाद बढ़ने की संभावना हैं। ऐसी स्थिति में न्यायालय की मत में निषेधाज्ञा पारित किया जाना आवश्यक एवं उचित प्रतीत होता हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक स्वीकार किया जाता हैं तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आंश्य की अस्थाई [illegible] विवादित भूमि चक 11 पीटीडी तहसील रायसिंहनगर का मु.नं. 30 प.नं. 264/35[illegible]1 ता 25 कुल 25.00 बीघा नहरी भूमि पर मूल वाद के निस्तारण तक [illegible]

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक [illegible]जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.06.07 12:08:19 IST
Reason: Self Attested

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर